



2026:AHC:126699

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 19373/2026

ब्रजमोहन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता	:	अनिल कुमार बिंद
विपक्षी के अधिवक्ता	:	जी0ए0

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए0जी0ए0 की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया।
2. यह ज़मानत अर्ज़ी आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध/एफआईआर संख्या 158/2026 बीएनएस की धाराओं 191 (2), 190, 125, 326 (जी), 333, 324 (4), 115 (2), 351 (2), 3 (5) और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1932 की धारा 7 के तहत, पुलिस स्टेशन-सेक्टर-63, ज़िला-गौतम बुद्ध नगर में आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि एफआईआर में आवेदक का नाम नहीं है और उसके पास से कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपियों, अनमोल और विवेक पांडे को इस न्यायालय की एक पीठ ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19238/2026 और 19707/2026 में क्रमशः 03.06.2026 और 05.06.2026 के आदेशों

के ज़रिए ज़मानत दे दी है। इन परिस्थितियों में, समानता के आधार पर आवेदक भी ज़मानत पाने का हकदार है। अगर उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का ग़लत इस्तेमाल नहीं करेगा और सुनवाई की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. माननीय ए0जी0ए0 ने आवेदक की ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध किया है, लेकिन निष्पक्षता से यह स्वीकार किया है कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपियों, यानी अनमोल और विवेक पांडे को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है।

5. आवेदक के अधिवक्ता और ए0जी0ए0 की दलीलों पर विचार करने, प्राथमिकी और अन्य संबंधित दस्तावेज़ों को देखने, और अपराध की प्रकृति, सबूत, आरोपी की भूमिका और सज़ा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए—और बिना मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए—मेरी यह सोच है कि आवेदक ज़मानत का हकदार है। समानता के आधार पर ज़मानत की अर्ज़ी **मंज़ूर** की जाती है।

6. आवेदक-**ब्रजमोहन**, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत मुचलका और दो ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें शामिल नहीं होगा जो उस अपराध जैसा हो जिसका उस पर आरोप है या जिसके करने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक एक लिखित वचन देगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और सबूत पेश करने के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का पालन न करने पर, विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय में तय हर तारीख पर खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस वजह के मौजूद नहीं रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 229-ए (जिसके बराबर बीएनएस की धारा 269 है) के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(v) अगर आवेदक सुनवाई के दौरान ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए सी0आर0पी0सी0 की धारा 82 (जिसके बराबर बीएनएस की धारा 84 है) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के मुताबिक भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए (जिसके बराबर बीएनएस की धारा 209 है) के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को विचारण न्यायालय में इन तारीखों पर खुद मौजूद रहना होगा: (1) सुनवाई शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) सी0आर0पी0सी0 की धारा 313 (जिसके बराबर बीएनएस की धारा 351 है) के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस वजह के मौजूद नहीं है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

7. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय द्वारा ज़मानत रद्द करने का आधार बन सकता है।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

10 जून, 2026